

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

An Appeal RTI Appeal no: NIL dated 03.01.2022 filed by श्री वीरेंद्र कुमार, ए-1, 650, सैक्टर-6, रोहिणी, दिल्ली-110085 (received in this office on 04.01.2022) against the decision dated 31.12.2021 given by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC, New Delhi.

On an RTI application filed by Shri Virender Kumar under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005. In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

1. Shri Virender Kumar has filed an RTI application dated 29.11.2021 (received in this office on 01.12.2021) under the Right to information Act, 2005 seeking the following information:

1. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।
2. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सगसन कराकर नई बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।
3. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सगसन कराकर नई बिल्डिंग बनाता हैं तो क्या वह बिल्डिंग लीगल होगी या अनलीगल होगी लिखित में जानकारी दी जाए।
4. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सगसन कराकर नई बिल्डिंग बनाता हैं तो क्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलीगल है लिखित में जानकारी दी जाए।
5. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेता हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते हैं लिखित में जानकारी दी जाए।
6. नॉर्थ म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हैरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाइड हैरिटेज सूची में हैं उसको आपसे अनुमति लिए बिना हैरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उत्तरी दिल्ली नगर बिल्डिंग प्लान सगसन कर सकता है या नहीं लिखित में जानकारी दी जाए।

a. Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC vide letter no: 47(89)/2021-RTI Cell dated 31.12.2021 had given the following reply within the stipulated time limit:

- UBBL, 2016 (अनुलग्नक-1) के संदर्भ में, सभी gazette notified इमारतों को कोई भी कार्य जो कि निर्माण से संबंधित हैं, को करने से पहले HCC से अनुमति की आवश्यकता है।
- 2 to 6: जिस प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में यह विरासत संपत्ति आती है वह प्राधिकरण किसी भी अनधिकृत निर्माण के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकता है।

b. Since Shri Virender Kumar was not satisfied with the reply given by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO related to the query of his RTI application dated 29.11.2021 (received in this office on 01.12.2021), he has filed an appeal dated 03.01.2022 (received in this office on 04.01.2022) before the Appellate Authority.

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

1. The original application of the applicant and the reply from CPIO has been carefully examined from the concerned RTI file. I am of the opinion that the information provided by Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO is in order.
2. The appeal stands disposed of.

Date: 28.1.2022

Place: New Delhi



(Ruby Kaushal)
Secretary &
First Appellate Authority

To,

श्री वीरेंद्र कुमार,
ए-1, 650, सैक्टर-6,
रोहिणी, दिल्ली-110085

Copy to: Smt. Alka Dhir, Private Secretary & CPIO, DUAC.